न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 63 / 2020 (75 एल0आर0एक्ट) कल्याण सिह बनाम भीमसिंह
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00100)

1 कल्याण सिंह आ0 रूपसिंह राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा
2 लक्ष्मण सिंह आ0 रूपसिंह राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा

..... अपीलांटस

बनाम

1 भीमसिंह आ0 परमारसिंह जाति राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा
2 अन्तरकंवर बेवा चतरसिंह जाति राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा
3 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा

..... रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 15.09.16 नामान्तकरण सं0 1694 ग्राम आमेठा

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू माहेश्वरी
2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से पूरीलाल राठोर

–: निर्णय :–

दिनांक 29.01.2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के द्वारा ग्राम आमेठा के नामान्तकरण सं0 1694 दिनांक 15.09. 2016 को पारित किये गये आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को केडोन करने का निवदेन किया।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आमेठा पटवार हल्का आमेठा तहसील अकलेरा मे 6 किता की 10 बीघा 1 बिस्वा आराजी अपीलार्थीगण एव रेस्पोडेन्टस 1 से 2 के नाम दर्ज थी लेकिन दिनांक 15.09.2016 को जो नामान्तकरण स0 1694 तस्दीक किया गया उसमें रेस्पोडेन्टस नं0 3 ने गलत तौर से अपीलार्थीगण का 1/6 हिस्सा और रेस्पो0 संख्या 1 का 3/4 हिस्सा तथा रेस्पो0 नम्बर 2 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह [illegible] की गई हैं। रेस्पो0 नं0 3 द्वारा बिना किसी अपीलार्थीगण को सुनवाई का [illegible] किये नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश दिये है [illegible] तहसीलदार अकलेरा द्वारा नामान्तकरण संबंधी आदेश मनमाना कोप्रिसियश एवं परवर्स होने तथा [illegible]क न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होनेसे अपास्त होने [illegible]य है। रेस्पो0 नम्बर [illegible]लत तौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:11 IST
Reason: SelfAttested

Dataram 29/1/21

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

से नामान्तकरण अपने पक्ष में तस्दीक कराकर अपना हिस्सा 3/4 करा लिया। नामान्तकरण जेर अपील की जानकारी सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 18.11.2020 को उस वक्त हुई जब अपीलार्थीगण ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की अपील के साथ धारा 5 मियाद कानून के अन्तर्गत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि अपील दिनांक ज्ञान से अवधि मध्य स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2016 निरस्त किया जावे।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडन्ट नं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री पूरीलाल राठौर द्वारा वकालत नामा पेश किया गया अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू माहेश्वरी द्वारा लिखिल बहस प्रस्तुत की गई जसमे अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए अंकित किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम आमेठा की आराजी के संबंध में जो नामान्तकरण सं0 1694 दिनांक 15.09.2016 को तस्दीक किया गया है उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पारित आदेश के मुताबिक तस्दीक किया गया है जो कतई विधि विरूद्व है क्यों कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया था उसमें उसके द्वारा ग्राम आमेठा की 10 बीघा 1 बिस्वा मे अपना 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से उसका 3/4 हिस्सा मनमाने तौर पर दर्ज किया है जो विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें नामान्तकरण संख्या 20 व नामान्तकरण संख्या 32 जो गलत तौर से दर्ज किए गए थे नामान्तकरण सं0 32 के जिर्ये विरासत नामान्तकरण पदमबाई बेवा उदयसिंह से गोद पुत्र केसर सिंह वल्द धूलसिंह का नाम दर्ज किया गया है और उनका हिस्सा भी गलत तौर से दर्ज किया गया है–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व नामान्तकरण दर्ज किये गये है जबकि अपीलार्थीगण खातेदार है उन्है कोई आदेश पारित करने से पूर्व सूचित किया जाना चाहिये था ताकि वह अपना पक्ष सही तरीके से प्रस्तुत कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से हिस्सों का निर्धारण मनमाने तौर से करके अपीलार्थीगण के हितो पर आघात पहूँचाया है–केसर सिंह पुत्र धूल सिंह के नामान्तकरण को भीमसिंह के नाम दर्ज हुए है वह भी गलत तौर से दर्ज किया गया है और उसका हिस्सा उस नामान्तकरण के आधार पर मानकर कानूनी भूल की है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत बिना नियमित वाद के हिस्से की घोषणा किया जाना विधि विरूद्व होने से नामान्तकरण जेरे अपील निरस्त फरमाया जावे।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पूरीलाल राठोर द्वारा भी लिखित बहस पेश की गई जिसमें कथन किया कि अधीनस्थ नामकरण उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के निर्णय के अनुसरण में दर्ज किया है अर्थात अधिनिस्थ तहसीलदार ने आदेश पारित नही किया अपितु आदेश का पालन किया है। अपील के आधार निर्णय पर आक्षेप के रूप में होते है जब तहसीलदार ने निर्णय ही नही किया तो आक्षेप करने का आधार नही है अर्थात तथाकथित नामान्तकरण में तहसीलदार ने न्यायिक आदेश की पालना में कार्य किया है न कि न्यायिक आदेश पारित किया है–इसलिए नामान्तकरण अपास्त होने योग्य नही है क्योंकि नामान्तकरण उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

अधिकारी अकलेरा के प्रभाव का प्रमाण है। मूल आदेश उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के अस्तित्व में रहते नामान्तकरण अपास्त होने योग्य नही है–सुनवाई का आदेश का अपीलार्थीगण को तर्क इस कारण चलने योगय नही है क्योकि अधिनस्थ तहसीलदार ने न्यायिक कार्य नही किया है, अपितु उसने कार्यपालक कृत्य आदेश के अनुसरण में किया है। प्रत्यर्थी के आवेदन 18.05.2015 जिसमें 1/2 भाग का वर्णन है वह निर्णय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा की पत्रावली की आदेशिका में नही लिया है अपितु आवेदन दिनांक 17.06.2016 को लिया है जिसमे उपखण्ड अधिकारी अकलेरा केम्प आमेठा को खातो में हिस्सा दर्ज कराने बाबत वर्णन है–इस आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी ने विशेषज्ञ की राय के तहत पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली व उसके सुझाये के अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील न्यायहित में अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7 अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण सं0 1694 में पूर्व इन्द्राज कल्याण सिंह, लक्ष्मण सिंह पि0स0 रूपसिंह व अंतर कंवर बेवा चतर सिंह, भीमसिंह वल्द परमार सिंह जाति राजपूत निवासी आमेठा के स्थान पर कल्याण सिंह, लक्ष्मण सिंह पिसरान रूप सिंह हिस्सा 1/6 व अंतर कंवर बेवा चतर सिंह हिस्सा 1/12 भीमसिंह वल्द परमार सिंह हिस्सा 3/4 जाति राजपूत निवासी आमेठा खातेदार शेष बदस्तूर दर्ज कर दिया है जिसका आधार उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के आदेश दिनांक 17.06.2016 को माना है। परन्तु नामान्तकरण के साथ उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न नही है। उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति बहस के समय अपीलान्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई। नामान्तकरण के लिए मुख्य आधार उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के इस आदेश को ही तहसीलदार अकलेरा ने बनाया । इस आदेश के संबंध में बहस के समय अपीलान्ट अधिवक्ता ने दर्क दिया कि यह आदेश न्यायिक आदेश नही बल्कि प्रशासनिक आदेश है। किसी की खातेदारी अधिकार के संबंध में धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत ही उपखण्ड अधिकारी दावे के तहत निर्णय करने के लिए सक्षम है। मात्र एक प्रा0पत्र पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से हिस्सा कम करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र को केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट [illegible] बनाए बिना ही तथा बिना किसी विवेचन के भीमसिंह पिता परमाल [illegible] को [illegible]/4 हिस्सा के स्थान पर 3/4 हिस्सा कर उसे अधिक भूमि का [illegible] कर दिया है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने इसका तर्क दिया कि चाहे आदेश गलत है या सही उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्ध [illegible] अदालत को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है तथा नामान्तकरण स्वीकृत करते समय केवल तहसीलदार को उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के आदेश को ही देखना होता है उसमें अपीलान्ट को सुनने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:11 IST
Reason: SelfAttested

29/1/21
प्रति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

कोई प्रावधान नही है । रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने राजस्व मण्डल की पत्रिका राविरा के सौजन्य से प्रकाशित पुस्तक के पृष्ठ सं0 143 से 145 की नजीर पेश की जिसको इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होना बताया ।

यह अपील नामान्तकरण संख्या 1694 दिनांक 15.09.2016 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये जाने पर इस न्यायालय में पेश की गई है, जिसको सुनने का इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार है इस तथ्य को रेस्पो0 के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया। तहसीलदार अकलेरा ने नामान्तकरण को स्वीकृत करते समय अपीलान्ट को नही सुना है और न हीं उनको इसकी तत्समय जानकारी हुई यह भी एक स्वीकृत तथ्य है। यह भी सर्व मान्य है कि न्यायालय के निर्णय व डिक्री तथा आदेशों की पालना करना भी अधीनस्थ कार्मिक व अधिकारी का कर्तव्य होता है व निर्णय के बाद उसकी जॉच करने का अधिकार नही होता है । परन्तु इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने आदेश राजस्व लोक अदालत अभियान कैप आमेठा में पारित किया है। अब यह देखा जाना है क्या राजस्व लोक अदालत में इस प्रकार पारित किया गया निर्णय न्यायिक निर्णय की श्रैणी में आता है या नही । इस प्रकरण में रेस्पो0 नं0 1 की ओर से केवल उचित हिस्से दर्ज करने के लिए प्रा0पत्र दिया है उपखण्ड अधिकारी ने इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय के प्रथम पैरा में टाइप शुदा रिपोर्ट जो उपखण्ड अधिकारी को अवलोकनार्थ व आदेशार्थ बिना किसी के हस्ताक्षर प्रस्तुत है के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 को 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है, जबकि अपीलान्ट जो प्रभावित खातेदार है उसको पक्षकार नही बनाया है और न ही उसकी कोई सहमति ली गई उसके बावजूद राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए राजस्व लोक अदालत अभियान की भावना यह थी कि यदि पक्षकार के मध्य समझौता या सहमति हो तो उसके आधार पर संबंधित अधिनियम की धाराओं के तहत निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पक्षकार सहमत नही है अथवा अनुपस्थित है तो प्रकरण नियमित वाद की तरह ही निस्तारित किया जाना था। इस प्रकरण में तो प्रभावित खातेदार को पक्षकार भी नही बनाया है और नही राजस्व लोक अदालत कैप में बुलाया गया और न ही उसकी सहमति है। हमारी राय में खातेदारी अधिकारों की घोंषणा के लिए केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत दावा प्रस्तुत करने एवं प्रभावित खातेदार/सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाकर व लैण्ड होल्डर भूमिधारी को भी पक्षकार बनाया जाकर जवाब /पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यदि पक्षकार सहमत है तो लोक अदालत की भावना से निर्णय व डिक्री पारित किया जा सकता है लेकिन सहमत नही है तो तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए न्यायालय को निर्णय व डिक्री पारित की [illegible] है। अतः केवल राजस्व लोक अदालत में प्रावधानों/प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया आदेश न्यायिक निर्णय की परिभाषा में [illegible] है तथा ऐसे निर्णय के आधार पर तहसीलदार को नामान्तकरण खोलते समय पक्षकारों को विशेष कर प्रभावित पक्षकार एवं सहखातेदार को हमारी राय में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने नामान्तकरण से पूर्व की जामाबंदी पेश की है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:11 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण के इन्द्राज के कालम सं0 7 पर अंकित पूर्व इन्द्राज में कल्याण सिंह, लक्ष्मणसिंह पिसरान रूप सिंह व अंतर कंवर बेवा चतर सिंह , भीमसिंह वल्द परमार सिंह खातेदार का बैक में हिस्सा रहन दर्ज होने का भी अंकन है जिसमें भीमसिंह का हिस्सा केवल 1/4 ही रहन रखा गया था। जिसमें उसका हिस्सा 1/4 ही सहखातेदारों द्वारा सहमति से माना है, लेकिन उपखण्ड अधिकारी के एक पक्षीय आदेश दिनांक 17.06.2016 के द्वारा प्रभावित पक्षकार/सहखातेदारों को सुने बिना व बिना सहमति के रेस्पोडेन्ट सं0 1 का 3/4 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया है व नामान्तकरण स्वीकार करते समय भी सहखातेदारों/प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जो न्यायोचित नही माना जा सकता । जहॉ तक रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने जो नजीर पेश की है, उसके तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होती है। अतः तहसीलदार अकलेरा द्वारा स्वीकृत गये ग्राम आमेठा तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 1694 दिनांक 15.09.2016 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

8 अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार अकलेरा द्वारा स्वीकृत किये गये ग्राम आमेठा तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 1694 दिनांक 15.09.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अकलेरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामान्तकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना किए जाने हेतु प्रभावित पक्षकार/सहखातेदार को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावे तत्पश्चात पुनः निर्णय पारित करें।

29/1/21

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

9 निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/1/21

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:11 IST
Reason: SelfAttested